दूरभाष सं0 220228
Phone No. 220228
फैक्स सं0 220614
Tele Fax. 220614

पत्रांक : 177 / प्रेस नोट / 17
Letter No.
कार्यालय छावनी परिषद, रानीखेत।
Office of the Cantonment Board, Ranikhet
दिनांक 28 जुलाई, 2017.
Dated 28 July, 2017.

सेवा में,

स्थानीय संवाददाता,
हिन्दुस्तान / दैनिक जागरण / अमर उजाला, रानीखेत।

विषयः— **विज्ञप्ति प्रकाशन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया निम्न प्रेस नोट को जनहित में अपने आगामी अंक में निःशुल्क प्रकाशित कर करने का कष्ट करें।

कृते— मुख्य अधिशासी अधिकारी
Chief Executive Officer
छावनी परिषद, रानीखेत।
Cantonment Board, Ranikhet.

प्रतिलिपि :—

मो0 अकील अहमद सिद्दीकी, प्रोग्रामर, छावनी परिषद, रानीखेत। — सूचना को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

छावनी परिषद,रानीखेत।
प्रेस नोट

दि0 01.07.2017 से सम्पूर्ण देश में वस्तु एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) प्रभावी होने एवं जी0एस0टी0 में समायोजित होने वाले करों एवं शुल्कों की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से उच्च अधिकारियों के निर्देश पर छावनी परिषद रानीखेत द्वारा वाहन प्रवेश शुल्क की वसूली अस्थायी रूप से रोक दी गयी थी। महानिदेशक, रक्षा सम्पदा, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा रक्षा मंत्रालय एवं राजस्व विभाग से स्थिति स्पष्ट करने के उपरान्त अवगत कराया गया है कि छावनी अधिनियम की धारा 67 के अन्तर्गत आने वाले शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) से प्रभावित नहीं होते है। छावनी परिषद, रानीखेत द्वारा छावनी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों से छावनी अधिनियम 2006 की धारा 67(ई) के अन्तर्गत वाहन प्रवेश शुल्क की वसूली की जाती है। जिसे परिषद के निर्णय के अनुसार दि0 28 / 07 / 2017 की मध्यरात्रि से पूर्ववत सुचारू किया जा रहा है।

(ज्योति कपूर, भा.र.सं.से.)
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद, रानीखेत।